

नीलामी

क्षेत्रीय-इलाहाबाद, 3-डी ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद

अचल सम्पत्तियों के लिए नीलामी सुचना

जबिक, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुर्नगठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपिवत नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बर्धक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचितं किया जाता है कि सम्बन्धितं मामलों में बकाया धनराशि की बसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 क निम्नलिखित विरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक प्रयागराज के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर " नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के नियम 8 के उपनियम 5 एवं 6 के अंतर्गत निर्धारित तिथि, स्थान क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा यू.पी. बैंक 3—डी ताशकन्द मार्ग प्रयागराज में ई-नीलामी हेत् प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

京 . 甘.	ऋणियों का नाम एवं पता तथा बकाया धनराशि	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (रू.)
	श्री अशोक कुमार चौरसिया, श्रीमती कमला देवी एवं गणेश पुत्र बाबूलाल। बकाया राशिः रु.20,64,919.35 + ब्याज एवं अन्य खर्चे। मांग सूचना की तिथिः- 02.02.2022 कब्जा की	श्रीमती कमला देवी की सम्पत्ति आराजी सं0- 670(ज्ञा) एवं 670 (च), मुंगरावं, परगना- केवई, प्रयागराज में स्थित है। क्षेत्रफल- 0.0572 हेक्टेयर। चौहद्दीः पूरब-रमेश, सुरेश, महेश एवं अन्य की भूमि, पश्चिमः पुष्पा देवी की भूमि, उत्तरः अबादी, दक्षिणः आराजी सं0- 670 ज्ञा एवं च का शेष भाग।	₹ 4,04,600.00

नीलामी की तिथि एवं समय- 21.02.2024 दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक, नीलामी का स्थान: बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय-इलाहाबाद, 3-डी ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज।

नियम व शर्तै:- (1) यह नीलामी जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है'' तथा जो कुछ भी है'' के आधार पर हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तक नीलाम की जा रही सम्पत्तियां भारमुक्त हैं फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रुप से सभी भार, टाइटिल, क्लेम, देयताओं आदि की स्वयं जांच कर लें। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ **बेचे जा रहे** है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम, अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, वे नीलामी तिथि के पहले सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते है। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी **बड़ौदा यू.पी**. **बैंक, इलाहाबाद,** से संपर्क कर सकते है। (4) इच्छुक बोलीदाता बिड धनग्रशि का 10 प्रतिशत धरोहर ग्रशि बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक के पक्ष में इलाहाबाद में देय हो, एक सील बंद लिफाफे में जमा करना होगा। प्रस्ताव दिनांक-20.02.2024 तक समय सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा एवं नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 12.00 बजे खोला जायेगा। (5) सफल बोलीकर्ता की इएमडी राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामीकर्ता की धरोहर राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत इएमडी राशि को मिलाकर उसी दिन तुरन्त जमा करना होगा। शेष धनराशि उसे 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। सफल बोर्लीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना सूचना के जब्त कर ली जायेगी। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा नीलामी को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। (8) सफल बोलीदाता को नियम के अनुसार सभी चार्जेज/फीस जैसे स्टाम्प ड्यूटी; पंजीकरण शुल्क इत्यादि का खर्च स्वयं वहन करना होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी चार्ज, लियेन, ऋणभार, सम्पत्ति कर एवं/ या अन्य सरकारी देयताओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के करों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस प्रकार के भुगतान के लिये क्रेता उत्तरदायी होगा। (10) बोली प्रक्रिया के किसी भी समय निरस्त होने की दशा में बैंक के पास जमा की गई धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

यह प्रकाशन नियम प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिन की नोटिस है। ऋणियों/जमानतकर्ताओं को यह सुचित किया ज़ाता है कि नीलामी की तिथि से पहले बैंक के कुल बकाया राशि तथा अद्यतन ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित धनराशि जमा कर दें, इसमें असफल रहने पर सम्पत्तियों की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि की वसूली ब्याज एवं अन्य खर्ची सहित कर ली जायेगी, यदि कोई हो। यदि किसी-कारण से नीलामी की तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस में सम्पन्न होगी। (11) नीलामी के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बड़ौदा यू.पी. बैंक, सेक्योर्ड क्रेडिटर के वेबसाइट (https://www.barodagraminbank.com) पर दिये गये लिंक का अवलोकन करें।

प्राधिकृत अधिकारी



दिनांकः 17.01.2024



स्थानः इलाहाबाद





Baroda U.P. Bank

NOTICE

Region-Allahabad, 3-D Taskand Marg, Allahabad

Auction Sale Notice for Immovable Properties

Whereas, The Authorised Officer of Baroda U.P. Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rules 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to borrowers and Authorised Officer has taken possession of the Properties described herein below. Offers are invited by the Authorised Officer under the said Act by holding Auction on the date, place and time mentioned. Public at large and borrowers and guarantors in general is being informed hereby that Auction under SARFAESI Act 2002 in respect of Under noted properties will be conducted for sale on the terms and conditions specified herein stated on the basis of "AS IS WHERE IS" & " AS IS WHAT IS BASIS" "WHATEVER THERE IS BASIS" at Regional Office Baroda U.P. Bank, 3-D Tashkand Marg, Prayagraj, For realization of debts/dues to Bank. The sale be subject to the conditions mentioned in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions.

uie	tollowing further conditions.	The state of the s	Reserve Price	
S. N.	X	Description of The Immovable Property	Earnest Money (EMD)	
1.		Property of Smt. Kamala Devi, part of Arazi No- 670(Jha) and 670 (cha), Mungraon, Pargana- Kewai, Prayagraj admeasuring 0.0572 Hect. Boundary:- East- Land of Ramesh, Suresh, Mahesh and others, West- Land of Pushpa devi, North- Aawadi, South- Part portion of Arazi No- 670jha and cha.	Rs.40,46,000.00	
	Chaurasya, Kamla Devi and Ganesh S/o Babulal. Amount: Rs. 20,64,919.35 + Interest thereafter and other Charges. Date of Demand Notice-:02.02.2022		Rs.4,04,600.00	
	Auction Date: 21.02.2024 Time- 12:00 P.M. to 1:00 P.M., Venue of Auction- BARODA U.P. Region- Allahabad, 3-D Taskand Marg, Civil Lines, Prayagraj.			

Terms & conditions:- (1) The Auction is being held on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS BASIS" (2) To The Best of Knowledge And Information of The Authorised Officer/s There is no encumbrance on any properties. The intending bidder should make their own independent inquiries about properties put on auction and Claims/rights/ dues effecting the properties, prior to submitting the bid. The properties is being sold with all the existing and future encumbrance whether known or unknown to the Bank. The Authorized Officer/Secured creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. (3) It shall be the responsibility of the bidder to inspect and satisfy themselves about the assets and specification before submitting the bid, they can inspect the properties before the date of Auction. (4) Intending bidders shall be required to deposit offer in a sealed envelope along with 10% earnest money of bid amount only by way of bankers' cheque / demand draft favoring the Authorized officer Baroda U. P. Bank Payable at Allahabad. Offers shall be accepted till 20.02.2024 by 5:00 PM & Shall be opened at 12:00 P.M. on the Date of Auction (5) The earnest Money Deposit of the Successful bidders shall be retained towards part sale consideration and EMD of unsuccessful bidder shall be refunded. The EMD Deposit shall not bear any interest. (6) The successful bidder shall have to deposit 25% of bid amount, inclusive of EMD already paid, on same day and the balance of rest amount of bid within 15 days, in case of default in payment by successful bidder the amount already deposited by the bidder shall be liable to be forfeited by the Authorized officer without any notice. (7) The Authorized officer is not bound to accept the highest offer and the authorized officer has absolute right to accept or reject any or all offers(s) or adjourn/postpone/cancel the Auction without assigning any reason thereof. (8) The Successful bidder Would bear the charges/fees payable for conveyance such as stamp duty Registration Fees etc as applicable as per law. (9) The Authorized officer will not be held responsible for any charge, lien, encumbrance, electricity, property tax and/or any other dues to the govt. and anybody in respect of the properties under auction the purchaser shall be liable to pay such dues. (10) Bank will not pay any interest on amount received by bank, in case of cancellation of bid and return of sale proceeds at any point of time. This Publication Is Also 30 Days Sale Notice Under Rule 8(6) of The Security Interest (Enforcement) Rule 2002. The Borrowers/guarantors are hereby notified to pay the total dues along with up to date interest and ancillary expenses before the date of auction failing which the properties will be auctioned or sold and balances, if any will be recovered with interest and cost. In case date of auction is declared holiday for any reason then auction shall take place on next working day. (11) For detailed terms & condition of the sale please refer to the link provided in baroda UP Bank, secured creditor's website that is (https://www.barodagraminbank.com).

Date: 17.01.2024 Place: Allahabad **Authorized Officer**